



RAEBARELI POLICE



दिनांक 31 मई 2025

थाना डीह

20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

अवैध मादक द्रव्यों के निर्माण/बिक्री/तस्करी के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 31 मई 2025 को थाना डीह पुलिस टीम द्वारा मुखबिरबास की सूचना पर अभियुक्तगण 1.रवि पुत्र रमेश निवासी ग्राम वनपुरवा मजरे रोखा थाना डीह जनपद रायबरेली 2.मिथिलेश पत्नी स्व० पवन निवासी ग्राम पूरेठकुराईन मजरे अहल थाना डीह जनपद रायबरेली को कुल-20 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-125/2025 धारा-60(2) आवकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.रवि पुत्र रमेश निवासी ग्राम वनपुरवा मजरे रोखा थाना डीह जनपद रायबरेली
 - 2.मिथिलेश पत्नी स्व० पवन निवासी ग्राम पूरेठकुराईन मजरे अहल थाना डीह जनपद रायबरेली
- बरामदगी:-

20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब
शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली थाना डीह पुलिस टीम:-

1. उ०नि० शिवम जायसवाल
2. आ० प्रेमवीर
3. आ० महेश
4. आ० हिमांशु
5. म०आ० प्राची सिंह



मीडिया सेल रायबरेली